

भाग-3

( संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है, )

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, ( हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। — हाँ।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

तिथि : 2/5/17

स्थान : mbd.

()  
नाम व पदनाम वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक  
सरकारी मोहर मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 3035 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 02 मई, 2017

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद रामपुर में मुरादाबाद-टाण्डा-दढियाल मार्ग किमी 30.284 की दायीं पटरी पर खसरा संख्या-209 ग्राम रतुआ नंगला तहसील टाण्डा में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० बरेली द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 बुकों पातन की अनुमति।

सन्दर्भ :- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर की पत्र संख्या-2051/14-1, दिनांक 22-04-2017.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद रामपुर में मुरादाबाद-टाण्डा-दढियाल मार्ग किमी 30.284 की दायीं पटरी पर खसरा संख्या-209 ग्राम रतुआ नंगला तहसील टाण्डा में इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० बरेली द्वारा पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.059 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 बुकों पातन की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अनुसार शासन को भेजा जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर द्वारा विषयक क्रम में दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित 2 प्रतियों में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्नक - 2 प्रतियां।

भवदीय,

(आर० पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, रामपुर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप अपने माध्यम से विषयक प्रस्ताव (इस कार्यालय से प्राप्त कर) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय में यथाशीघ्र/तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आर० पी० वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।